रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 23 जुलाई, 2022 ई० (श्रावण 1, 1944 शक संवत्) [संख्या 30

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	677–704	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	505–529	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	..	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	383–391	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-5

प्रोन्नति/नियुक्ति

01 जनवरी, 2022 ई0

सं0 06/दो-5-2022-35(14) 2021—श्री राज्यपाल भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग के वर्ष 2009 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेलेक्शन ग्रेड रु0 1,23,100-2,15,900 (पे मैट्रिक्स में लेवल-13) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एतद्द्वारा प्रोन्नति प्रदान करते हैं—

क्रम सं0	अधिकारी का नाम
1	2
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—
1	शुभ्रा सक्सेना
2	सूर्यपाल गंगवार
3	अदिति सिंह
4	डा0 रूपेश कुमार
5	अनुज कुमार झा
6	माला श्रीवास्तव
7	डा0 नितिन बंसल
8	मासूम अली सरवर
9	विजय किरन आनन्द
10	भानु चन्द्र गोस्वामी
11	प्रकाश बिन्दु
12	एस0 राजलिंगम
13	विवेक
14	वैभव श्रीवास्तव
15	अजीत कुमार
16	राकेश कुमार मिश्र-I
17	रमाकान्त पाण्डेय

1	2
	सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–
18	रमाशंकर मौर्य
19	अनुराग पटेल
20	आनन्द कुमार सिंह
21	राम केवल
22	अनिल कुमार-III
23	राजेश कुमार-II
24	मार्कण्डेय शाही
25	राजेश प्रकाश
26	संगीता सिंह
27	डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा
28	डॉ0 अनिल कुमार

आज्ञा से,
डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव।

राज्य कर विभाग

अनुभाग-4

पदोन्नति / तैनाती

31 जनवरी, 2022 ई0

सं0 53 / 11-4-2022-30(12) 2021–वाणिज्य कर विभाग में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर के पद पर कार्यरत श्री प्रदीप कुमार सिंह-1 को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण के पर पर (वेतनमान रु0 37,400-67,000 एवं ग्रेड वेतन रु0 10,000 पे मैट्रिक्स लेवल-14) एतद्द्वारा पदोन्नत करते हुये तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है–

क्रमांक	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
1	2	3
1	श्री प्रदीप कुमार-I	नोएडा पीठ-2

उक्त आदेश दिनांक 01 फरवरी, 2022 से प्रभावी होगा।

तैनाती

सं0 54/11-4-2022-30(12) 2021—तात्कालिक प्रभापव से वाणिज्य कर अधिकरण के निम्नलिखित नवपदोन्नत सदस्य (विभागीय) वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 को उनके नाम के सम्मुख तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित स्थान पर एतद्द्वारा तैनात किया जाता है—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	अशफाक अहमद	मुरादाबाद पीठ
2	नारायण कुमार अग्रवाल	मेरठ पीठ-2

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

लोक निर्माण विभाग

अनुभाग-4

औपबंधिक नियुक्ति

01 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 5079/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री वरूण तिवारी पुत्र श्री दया शंकर तिवारी (अनुक्रमांक-084964) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5080/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अभिषेक तिवारी पुत्र श्री बाल गोविन्द तिवारी (अनुक्रमांक-095126) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5081/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री देवब्रत बैस पुत्र श्री सुरेश कुमार बैस (अनुक्रमांक-072471) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5082/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री शान्तनु कुमार पुत्र स्व0 हरिनाथ सिंह (अनुक्रमांक-124541) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5083/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री ईशांत कटियार पुत्र श्री सुरेश कटियार (अनुक्रमांक-013932) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त

पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5084/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अनुराग कुमार वर्मा पुत्र श्री अनिल कुमार वर्मा (अनुक्रमांक-030529) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयेाग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5085/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री प्रशांत सिंह पुत्र श्री देवराज सिंह (अनुक्रमांक-113217) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5086/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री अलका वर्मा पुत्री श्री राधे श्याम वर्मा (अनुक्रमांक-076447) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयेाग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5087/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री स्वपनिल चतुर्वेदी पुत्री श्री विजय शंकर चतुर्वेदी (अनुक्रमांक-007144) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5088/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री दीक्षा सिंह पुत्री श्री दिग्विजय सिंह (अनुक्रमांक-025111) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5089/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री प्रभाकर उपाध्याय पुत्र श्री सुबास चंद उपाध्याय (अनुक्रमांक-048837) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5090/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री समृद्ध शुक्ला पुत्र श्री हर्षवर्धन शुक्ला (अनुक्रमांक-102320) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5091/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 86/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 26 अगस्त, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सुशील कुमार गुप्ता पुत्र श्री राम गोपाल गुप्ता (अनुक्रमांक-002264) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5092/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 126/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री सौरभ कुमार पुत्र श्री पवन कुमार (अनुक्रमांक-029383) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5093/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 126/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी सुश्री सदफ उस्मानी पुत्री श्री मुसर्रत अली (अनुक्रमांक-079240) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों—

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्य मुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयेाग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

सं0 5094/23-4-2021-64 जनरल/21—लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा (सामान्य चयन/विशेष चयन) परीक्षा, 2019 के आधार पर लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उ0प्र0, प्रयागराज के पत्र संख्या 126/01/ई-4/2019-20टी0सी0-I, दिनांक 28 सितम्बर, 2021 द्वारा नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री अभिषेक राय पुत्र श्री जवाहर लाल राय (अनुक्रमांक-081746) को लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में सहायक अभियन्ता

(सिविल) के पद पर वेतन बैण्ड-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे-5,400 (सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के क्रम में पुनरीक्षित लेवल-10) में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में औपबंधिक रूप से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

(1) उनकी सेवायें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग समूह "ख" सिविल इंजीनियरिंग सेवा नियमावली, 2004 के प्राविधानों से शासित होंगी तथा ऐसे अन्य सेवा शर्तें भी उन पर लागू होंगी, जो समय-समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायें।

(2) उ0प्र0 सरकारी सेवक परिवीक्षा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2016 जो उत्तर प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों की सेवा नियमावलियों पर अध्यारोही प्रभाव से लागू हैं, के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे।

(3) यदि सम्बन्धित अभ्यर्थी लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हों तो नियुक्ति-पत्र की प्राप्ति के एक माह की अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ में निम्नलिखित अभिलेखों एवं सूचनाओं के साथ उपस्थित हों–

[क] केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अन्तर्गत अब तक की गयी सेवाओं के संबंध में घोषणा।

[ख] अपने कर्जदार होने न होने की घोषणा।

[ग] निज स्वामित्व की समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से संबंधित घोषणा।

[घ] एक से अधिक पत्नी/पति न होने की घोषणा।

[ङ] निजी विवरण।

[च] राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी दो नवीनतम प्रमाण-पत्र।

[छ] राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साईज में एक नवीनतम फोटोग्राफ।

[ज] इण्डियन आफिशियल सीक्रेट्स ऐक्ट, 1923 के प्राविधानों को पढ़े जाने से संबंधित घोषणा-पत्र।

[झ] हाई स्कूल का प्रमाण-पत्र।

[ञ] वैवाहिक स्थिति में दहेज न लेने विषयक घोषणा।

(4) प्रथम नियुक्ति के समय विभाग में योगदान करने हेतु किसी भी अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

(5) यदि संबंधित अभ्यर्थी दूसरे विभाग में कार्यरत हैं और वहां से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर/पूर्ववर्ती विभाग की सेवायें छोड़कर लोक निर्माण विभाग में योगदान देता है तो उसे अपनी पूर्ववर्ती विभाग से "नो ड्यूज" का प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना होगा।

(6) संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता वही रहेगी, जो लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 25 जून, 2021 द्वारा निर्धारित है और विभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि भिन्न-भिन्न होने की दशा में भी

ज्येष्ठता क्रमांक लोक सेवा आयोग की संस्तुति के आधार पर ही समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 1991 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

(7) संबंधित अभ्यर्थी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि चरित्र सत्यापन/स्वास्थ्य परीक्षण/स्वघोषणा-पत्र/अनिवार्य शैक्षिक योग्यता आदि के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने एवं उनके संबंध में कोई विधि विरुद्ध प्रमाणित तथ्य संज्ञान में आने की दशा में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।

(8) यदि उम्मीदवार का चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं होता है या उम्मीदवार द्वारा अपने स्वःसत्यापन या घोषणा-पत्र में कोई गलत सूचना दी गयी है तो औपबन्धिक नियुक्ति-पत्र तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा तथा परिणाम स्वरूप अन्य आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(9) संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति-पत्र प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर लें, यदि वे निर्धारित समयावधि के अन्दर युक्तियुक्त कारण के बिना योगदान नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि वे उपर्युक्त पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं हैं और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन समाप्त करने की कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

(10) संबंधित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता (सिविल) की तैनाती के संबंध में पृथक् से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,
दुर्गा सिंह,
अनु सचिव।

पी0एस0यू0पी0—17 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 जुलाई, 2022 ई० (श्रावण 1, 1944 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय,

विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

कार्यालय, जिलाधिकारी, लखनऊ

11 मई, 2022 ई0

सं0 778/प्र0सहा0/2022–ग्राम शेरपुरलवल, परगना निगोहां, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में चकबन्दी समिति का गठन न हो पाने तथा ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियायें अवरुद्ध हो जाने के परिस्थितिजन्य कारणों को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 के नियम 3क (10) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक प्रकाश, जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, लखनऊ, ग्राम में चकबन्दी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने हेतु शासकीय कार्य के हित में निम्न प्रकार चकबन्दी कमेटी के गठन की स्वीकृति प्रदान करता हूं–

1–श्री राजाराम वर्मा पुत्र मंगल प्रसाद	अध्यक्ष
2–श्री अरविन्द कुमार सिंह पुत्र शमशेर बहादुर सिंह	सदस्य
3–श्री राजकुमार सिंह पुत्र श्री द्वारिका सिंह	सदस्य
4–श्री दलजीत सिंह पुत्र श्री जगत प्रताप सिंह	सदस्य
5–श्री ललित कुमार सिंह पुत्र श्री हर्ष बहादुर सिंह	सदस्य।

उक्त आदेश तत्काल से प्रभावी होंगे।

अभिषेक प्रकाश,
जिलाधिकारी/जिला उप संचालक,
चकबन्दी, लखनऊ।

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की अधिसूचना

24 मई, 2022 ई0

सं0 1746/(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ–उ0प्र0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज, ग्राम रसूलपुर आशिकअली क्षेत्रफल 0.1508 हे0, हसनापुर क्षेत्रफल 0.2354 हे0, आदमपुर नौबस्ता क्षेत्रफल 0.1563 हे0, महुरकला क्षेत्रफल 0.0580 हे0 व पहासा क्षेत्रफल 0.0440 हे0 कुल 0.6445 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1343/(भू0अ0)/न0म0पा0–प्रथम/लखनऊ, दिनांक 07 दिसम्बर, 2021 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 13 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित की गयी थी।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21 मई, 2022 पर विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला लखनऊ, तहसील सदर के सम्बन्धित ग्राम की शून्य हे0 भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है। (उ0प्र0 एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, यूपीडा, लखनऊ के द्वारा अपेक्षित पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे परियोजना हेतु जनपद लखनऊ, तहसील मोहनलालगंज के लिये अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि से कोई व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है।)

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

अनुसूची-क

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	मोहनलालगंज	गोसाईगंज	रसूलपुर आशिक अली	460	0.0572
				461	0.0562
				467	0.0264
				788	0.0110
				योग. .	**0.1508**
			हसनापुर	65	0.2354
				योग. .	**0.2354**
			आदमपुर नौबस्ता	517	0.0550
				518	0.0299
				523	0.0714
				योग. .	**0.1563**
			महुराकलां	1764	0.0580
				योग. .	**0.0580**
			पहासा	215	0.0440
				योग. .	**0.0440**
				कुल योग. .	**0.6445**

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	शून्य	शून्य	शून्य

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ, 6 जगदीश चन्द्र बोस मार्ग, लालबाग, लखनऊ स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

अभिषेक प्रकाश,
जिला कलेक्टर,
लखनऊ।

21 जून, 2022 ई0

सं0 325/आठ-वि0भू0अ0अ0/अमरोहा–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-4, अमरोहा (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु ग्राम ततारपुर पट्टी, धनसिया, टांडा, पीपलीदाउद, बावनखेड़ी, ताहरपुर, मोहम्मदपुर बंगल, दाउदपुर जागीर एवं बेगपुर शर्की, परगना हसनपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में 2.6546 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	ततारपुर पट्टी	146	0.0200
				414	0.0120
				योग . .	**0.0320**
			धनसिया	88	0.2000
				योग . .	**0.2000**
			टाडा	861	0.0144
				244-ख	0.0650
				योग . .	**0.0794**

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	पीपली दाउद	465	0.1200
				466	0.1540
				500	0.2390
				501	0.0069
				502	0.0400
				503	0.2872
				575	0.1550
				576	0.0607
				625	0.0956
				योग. .	**1.1584**
			बावनखेड़ी	15	0.0229
				177	0.2816
				172	0.0392
				171	0.0453
				योग. .	**0.3890**
			ताहरपुर	90	0.1314
				18	0.2692
				49	0.0960
				योग. .	**0.4966**
			मौहम्मदपुर बंगर	116	0.1597
				113	0.0627
				योग. .	**0.2224**
			दाउदपुर जागीर	334	0.0576
				योग. .	**0576**
			बेगपुर शर्की	20	0.0192
				योग. .	**0.0192**
				कुल योग. .	**2.6546**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के ..... (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरूद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION

June 21, 2022

No. 325/VIII-S.L.A.O./Amroha/2022–Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 2.6546 hectares of land is required in the Village-Tatarpur Patti, Dhansiya, Tanda, Peeli Daud, Bawankheri, Taharpur, Mohmmadpur bangar, Daudpur Jagir, Begpur Sharki, Pargana-Hasanpur,Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div.-4, Amroha (name of acquiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not Applicable–

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquired. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector Amroha is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Tatarpur Patti	146	0.0200
				414	0.0120
				Total . .	**0.0320**

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Dhansiya	88	0.2000
			Tanda	861	0.0144
				244-ख	0.0650
				Total . .	**0.0794**
			Peepli Daud	465	0.1200
				466	0.1540
				500	0.2390
				501	0.0069
				502	0.0400
				503	0.2872
				575	0.1550
				576	0.0607
				625	0.0956
				Total . .	**1.1584**
			Bawankheri	15	0.0229
				177	0.2816
				172	0.0392
				171	0.0453
				Total . .	**0.3890**
			Taharpur	90	0.1314
				18	0.2692
				49	0.0960
				Total . .	**0.4966**
			Mohmmadpur bangar	116	0.1597
				113	0.0627
				Total . .	**0.2224**
			Daudpur Jagir	134	0.0576
			Begpur Sharki	20	0.0192
				Grand Total . .	**2.6546**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, *Amroha.*

29 जून, 2022 ई0

सं0 355/S.L.A.O/अमरोहा–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-4, अमरोहा (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) परियोजना हेतु ग्राम कलालखेड़ा, ईरादतपुर उर्फ अलावलपुर, अकबरपुर शर्की, दमगढ़ी एवं कुआडाली, परगना हसनपुर, तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा में 0.09490 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक.....को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	कलालखेड़ा	172	0.0504
				योग . .	**0.0504**

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	ईरादतपुर उर्फ अलावलपुर	203	0.2548
				योग . .	**0.2548**
			अकबरपुर शर्की	65	0.0050
				151-मि0	0.5874
				योग . .	**0.5924**
			दमगढ़ी	385	0.0240
				378	0.0224
				योग. .	**0.0464**
			कुआडाली	477	0.0050
				योग. .	**0.0050**
				कुल योग. .	**0.9490**

6—अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के ..... (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION

June 29, 2022

No. 355/VIII-S.L.A.O./Amroha/2022—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.9490 hectares of land is required in the Village-Kalalkhera, Iradatpur *Alis* Alawalpur, Akbarpur Sharki, Dumgarhi and Kuandali, Pargana-Hasanpur,Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Through Executive Engineer, Madhya Gana Canal Construction Div.-4, Amroha (Name of acquiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not Applicable–

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquired. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector Amroha is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Kalalkhera	172	0.0504
			Iradatpur *Alis* Alawalpur	203	0.2548
			Akbarpur Sharki	65	0.0050
				151-M	0.5874
				TOTAL. .	**0.5924**
			Dumgarhi	385	0.0240
				378	0.0224
				TOTAL. .	**0.0464**
			Kuandali	477	0.0050
				GRAND TOTAL. .	**0.9490**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

07 जुलाई, 2022 ई0

सं0 373/आठ-वि०भू०अ०अ०/अमरोहा–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के प्रयोजन हेतु) राय है, कि सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश द्वारा अधि0अभि0 मध्य गंगा निर्माण खण्ड-4, अमरोहा (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) माईनर के निर्माण हेतु जनपद अमरोहा तहसील हसनपुर, परगना हसनपुर, ग्राम बहादरपुर गुलामुद्दीनपुर, मनौटा, मछरई, बसीकलां, सीकरी भूड, पांडली, इकौन्दा, सापा, उझारी में कुल 3.7761 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।

121–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है जिसे समुचित सरकार द्वारा.....दिनांक..... को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–

सामाजिक सामाघात लागू नहीं है।

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है इस विस्थापन के लिए अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर.....को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिए सहर्ष सहमति देते है।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	बहादरपुर गुलामुद्दीनपुर	121	0.0080
				100	0.0750
				93-मि0	0.5432
				96	0.1682

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	बहादरपुर गुलामुद्दीनपुर	98	0.1798
				97-मि0	0.0400
				85	0.0040
				86	0.0639
				योग . .	**1.0821**
			मनौटा	2	0.1710
				24	0.3702
				22	0.3727
				योग . .	**0.9139**
			मछरई	420	0.0840
				421	0.0220
				603	0.0336
				417	0.0180
				योग . .	**0.1576**
			बसीकलां	968	0.0256
				योग . .	**0.0256**
			सीकरी भूड	1	0.0520
				108-मि0	0.0560
				योग . .	**0.1080**
			पांडली	249	0.0400
				23-मि0	0.0550
				26 / 1-मि0	0.0396
				221	0.0600
				योग . .	**0.1946**
			इकौन्दा	587	0.2600
				665	0.0800
				455	0.0080
				586	0.0070

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
अमरोहा	हसनपुर	हसनपुर	इकौन्दा	628	0.0048
				629	0.1464
				672	0.0900
				950	0.0328
				योग . .	**0.6290**
			सापा	291	0.0510
				योग . .	**0.0510**
			उझारी	1149	0.1745
				956	0.1416
				551	0.1200
				957	0.0396
				1153	0.1338
				1120	0.0048
				योग. .	**0.6143**
				कुल योग. .	**3.7761**

6—अधिनियम की धारा 1121 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते है।

7—अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8—अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का सव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, अमरोहा।

NOTIFICATION

July 7, 2022

No. 373/VIII-S.L.A.O./Amroha—Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 3.7761 hectares of land is required in the Village-Bahadurpur Gulamuddinpur, Manota, Machchrai, Paandli, Seekri Bhood, Basi Kalan, Ikonda, Saanpa, and Ujhari, Pargana-Hasanpur,Tehsil-Hasanpur, District-Amroha is

required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh, Through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal Construction Div.-4, Amroha (Name of acquiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the state social impact assessment agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated.

3. The Summary of the Social Impact Assessment Report as follows:

Social Impact Assessment is not Applicable–

4. A total of Zero families are likely to be displaced due to the land acquired. The reason necessitating such displacement is as under–

Deputy Collector/Assistant Collector Amroha is appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

5. Therefore, the Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Bahadurpur Gulamuddinpur	121	0.0080
				100	0.0750
				93-M	0.5432
				96	0.1682
				98	0.1798
				97-M	0.0400
				85	0.0040
				86	0.0639
				Total. .	**1.0821**
			Manota	2	0.1710
				24	0.3702
				22	0.3727
				Total. .	**0.9139**
			Machchrai	420	0.0840
				421	0.0220
				603	0.0336
				417	0.0180
				Total. .	**0.1576**
			Paandli	249	0.0400
				23-M	0.0550
				26 / 1M	0.0396
				221	0.0600
				Total. .	**0.1946**
			Seekri Bhood	1	0.0520
				108-M	0.0560
				Total. .	**0.1080**

1	2	3	4	5		6
						Hectare
Amroha	Hasanpur	Hasanpur	Basi Kalan	968		0.0256
			Ikonda	587		0.2600
				665		0.0800
				455		0.0080
				586		0.0070
				628		0.0048
				629		0.1464
				672		0.0900
				950		0.0328
					Total. .	**0.6290**
			Saanpa	291		0.0510
			Ujhari	1149		0.1745
				956		0.1416
				551		0.1200
				957		0.0396
				1153		0.1338
				1120		0.0048
					Total. .	**0.6143**
					GRAND TOTAL. .	**3.7761**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to land acquisition to takes necessary steps to enter upon and survey of land, take levels of any land, dig or sub soil into the sub oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such time as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE: A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Amroha.

[नियम-27 का उपनियम (1)]

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) अन्तर्गत)

20 जुलाई, 2022 ई0

सं0 9905/अ0जि0भू0अ0/आगरा–43वीं वाहिनी पी0ए0सी0 एटा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन यथा 43वीं वाहिनी पी0ए0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु जनपद एटा, परगना व तहसील एटा, ग्राम रारपट्टी में स्थित 0.232 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना सं0 9482/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 05 मई, 2022 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर, एटा को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर (भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा 19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर घोषणा करते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में कोई भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित नहीं की गयी है। (प्रस्तावित भूमि से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है)।

कलेक्टर अग्रेतर अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु निर्देशित करते है। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इस के साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
एटा	एटा	एटा सकीट	रारपट्टी	987	0.232

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर

————————————शून्य————————————

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा भूमि अध्याप्ति कलेक्टर आगरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

[अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

43वीं वाहिनी पी0ए0सी0 एटा के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजना की 43वीं वाहिनी पी0ए0सी0 प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण हेतु जनपद एटा, परगना एटा सकीट व तहसील एटा, ग्राम रारपट्टी में स्थित 0.232 हे0 भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना सं0 9482/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है–

परियोजना से प्रभावित भू-स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आता है।

उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),

कलेक्टर, एटा।

[Sub-Rule (1) of Rule 27]

[UNDER SUB-SECTION OF SECTION 19 OF THE ACT]

July 20, 2022

No. 9905/A.D.M(LA) Agra–Where as Preliminary notification no. 9482/ADMLA/Agra Dt. 01-04-2022 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.232 hectres of land in Village-Rarpatti, Pargana-Etah Sakeet & Tehsil-Etah, District-Etah is required for 43th Vahini PAC Training Center through 43th Vahini PAC, Etah and lastly published on dated 05-05-2022. The Deputy Collector/ Assistant Collector-Etah was appointed as Administration for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector/ land acquisition submitted in pursuance to provision under sub section (2) of the section 15 of the Act, the Collector is pleased to declare under section 19 (1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and in schedule "B" has not been identified as the Rehabilitation and Resettlement area. (No family is being displaced from the proposed land)

The Collector is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Etah	Etah	Etah Sakeet	Rarpatti	987	0.232

SCHEDULE-B

(LAND INDENTIFIED SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area Remarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hectare
----------Zero----------					

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purposeof acquisition.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[UNDER SUB-SECTION (2) OF SECTION 19 OF THE ACT]

By the order of declaration made under Government Notification no. 9482/A.D.M.L.A./Agra Dt. 01-04-2022 for 0.232 hectares of land in Viilage-Rarpatti, Pargana-Etah Sakeet & Tehsil-Etah, District-Etah is required for 43th Vahini PAC Training Center through 43th Vahini PAC, Etah, I here by published the declaration made there in and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

The plan for the land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(Sd.) ILLEGIBLE,
Collector, Etah.

[नियम-27 का उपनियम (1)]

(अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) अन्तर्गत)

20 जुलाई, 2022 ई0

सं0 143/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/वाराणसी–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद चन्दौली में डी0एफ0सी0सी0 रूट पर प्रस्तावित सम्पार संख्या 78 सी0 की स्थापना हेतु जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार, ग्राम बनौली खुर्द, कटशिला व हिनौता उर्फ जगदीश सरांय में स्थित 0.9696 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1818/दिनांक 23-04-2022 को निर्गत की गयी थी तथा स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 14 मई, 2022 को प्रकाशित किया गया था। उपजिलाधिकारी, सदर चन्दौली को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार, ग्राम बनौली खुर्द, कटशिला व हिनौता उर्फ जगदीशसराय की उक्त अनुसूची में वर्णित 0.9696 हे0 भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

मा0 राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर चन्दौली को निर्देशित करते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	बनौली खुर्द	231	0.0180
				233	0.0270
				234	0.0270
				235	0.0280
				236	0.0260
				237	0.0584
				376	0.0035
				380	0.0250
				391	0.3155
				391/456	0.0076
				योग . .	**0.5360**
			कटशिला	94	0.0581
				97	0.1375
				योग . .	**0.1956**

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	हिनौता (जगदीश सराय)	8	0.0800
				9	0.0500
				11	0.0600
				12	0.0480
				योग . .	**0.2380**
				कुल योग. .	**0.9696**

टिप्पणी:—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, चन्दौली।

[Sub-Rule (1) of Rule 27]

[UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 19 OF THE ACT]

July 20, 2022

No. 143/VIII-S.L.A.O./Varansi—Appropriate compensation in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement in respect of 0.9696 hectares of land located in District Chandauli, Tehsil Chandauli, Pargana Majhwar, Village Banauli Khurd, Katshila and Hinauta (Jagdis Saray) for public purpose required by Executive Engineer, Provincial Division, Public work Department, Chandauli such as establishment of Sampar no. 78C under Dedicated freight corridor, District Chandauli. Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act, 2013, which was issued on the initial notification number 1818/dated 23-04-2022 and published in local news paper on the date 14-05-2022, SDM, Sadar Chandauli is appointed as administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report submitted by the Collector in compliance with the provisions of sub-section (2) of the section 15 of the Act, under section 19 (1), the Hon'ble Governor directs to declare that he is satisfied that schedule "A" The area of land mentioned in is necessary for public purpose and no family is being displaced as a result of the acquisition of 0.9696 hectares of land mentioned in the above schedule of the mentioned District Chandauli, Tehsil Chandauli, Pargana Majhwar, Village Banauli Khurd, Katshila and Hinauta (Jagdish Saray).

The Hon'ble Governor further directs that the entire Government directs the District Collector, Chandauli for publication of the declaration under sub-section (2) of section 19 of the Act.

SCHEDULE

District	Tehsil	Paragna	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Banauli Khurd	231	0.0180
				233	0.0270
				234	0.0270
				235	0.0280
				236	0.0260

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Banauli Khurd	237	0.0584
				376	0.0035
				380	0.0250
				391	0.3155
				391/456	0.0076
				Total. .	**0.5360**
			Katshila	94	0.0581
				97	0.1375
				Total. .	**0.1956**
			Hinauta (Jagdish Sarai)	8	0.0800
				9	0.0500
				11	0.0600
				12	0.0480
				Total. .	**0.2380**
				Grand Total. .	**0.9696**

NOTE–A site plan is inspected in the Office of Collector, Chandauli.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Chandauli.

सं0 144/आठ-वि0भू0अ0अ0(सं0सं0)/वाराणसी–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चन्दौली के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा जनपद चन्दौली में डी0एफ0सी0सी0 रूट पर प्रस्तावित सम्पार संख्या 76 सी0 की स्थापना हेतु जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार, ग्राम छित्तो में स्थित 1.2338 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1810/दिनांक 22-04-2022 को निर्गत की गयी थी तथा स्थानीय समाचार-पत्र में दिनांक 27 अप्रैल, 2022 को प्रकाशित किया गया था। उपजिलाधिकारी, सदर चन्दौली को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा 19(1) के अन्तर्गत मा0 राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा उल्लिखित जिला चन्दौली, तहसील चन्दौली, परगना मझवार, ग्राम छित्तो की उक्त अनुसूची में वर्णित 1.2338 हे0 भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।

मा0 राज्यपाल अग्रेतर निर्देश देते हैं कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन हेतु समुचित सरकार जिला कलेक्टर चन्दौली को निर्देशित करते हैं।

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
चन्दौली	चन्दौली	मझवार	छित्तो	144	0.0012
				145	0.0960
				146	0.1140
				147	0.0640
				255	0.1180
				256	0.1120
				258-मि0	0.0720
				268	0.0250
				269	0.0106
				270	0.0090
				302	0.0270
				303	0.0850
				305-मि0	0.0780
				307	0.0660
				309	0.1420
				311	0.0380
				314-मि0	0.0920
				320	0.0840
				योग. .	**1.2338**

टिप्पणीः—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर चन्दौली के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
जिलाधिकारी, चन्दौली।

No. 144/VIII-S.L.A.O./Varansi—Appropriate compensation in respect of land acquisition, rehabilitation and resettlement in respect of 1.2338 hectares of land located in District Chandauli, Tehsil Chandauli, Pargana Majhwar, Village Chitto for public purpose required by Executive Engineer, Provincial Division, Public work Department, Chandauli such as establishment of Sampar no. 76C under Dedicated freight corridor, District Chandauli. Under sub-section (1) of section 11 of the Right to Transparency Act,

2013, which was issued on the initial notification number 1810/dated 22-04-2022 and published in local news paper on the date 27-04-2022, SDM, Sadar Chandauli is appointed as administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report submitted by the Collector in compliance with the provisions of sub-section (2) of the section 15 of the Act, under section 19 (1), the Hon'ble Governor directs to declare that he is satisfied that Schedule "A" The area of land mentioned in is necessary for public purpose and no family is being displaced as a result of the acquisition of 1.2338 hectares of land mentioned in the above schedule of the mentioned District Chandauli, Tehsil Chandauli, Pargana Majhwar, Village Chitto.

The Hon'ble Governor further directs that the entire Government directs the District Collector, Chandauli for publication of the declaration under sub-section (2) of section 19 of the Act.

SCHEDULE

District	Tehsil	Paragna	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Chandauli	Chandauli	Majhwar	Chhitto	144	0.0012
				145	0.0960
				146	0.1140
				147	0.0640
				255	0.1180
				256	0.1120
				258-M	0.0720
				268	0.0250
				269	0.0106
				270	0.0090
				302	0.0270
				303	0.0850
				305-M	0.0780
				307	0.0660
				309	0.1420
				311	0.0380
				314-M	0.0920
				320	0.0840
				Total. .	**1.2338**

NOTE–A site plan is inspected in the Office of Collector, Chandauli.

(*Sd.*) ILLEGIBLE,
Collector, Chandauli.

शुद्धि-पत्र

30 जून, 2022 ई0

सं0 791/आठ-वि0भू0अ0अ0(सिं0) मीरजापुर—"उत्तर प्रदेश गजट 02 अक्टूबर, 2021 ई0 (आश्विन 10, 1943 शक संवत्) भाग-1क में पेज नं0 1399 पर प्रकाशित आराजी नं0 338-क, रकबा-0.0870 के स्थान पर शुद्ध आराजी नं0 238-क, रकबा-0.0870 पढ़ा जाय"।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर सोनभद्र/मीरजापुर।

कार्यालय, चकबन्दी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

06 दिसम्बर, 2019 ई0

सं0 109/जी0-178/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बॉसी, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम कनैजिल तप्पा रूधौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

11 जनवरी, 2021 ई0

सं0 903/जी0-178/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी, जनपद सिंद्धार्थनगर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	सिद्धार्थ नगर	बांसी	1—सुजानपुर तप्पा असनार 2—गौरी तप्पा असनार 3—कौवाताल तप्पा छतसी

06 मार्च, 2020 ई0

सं0 1514/जी0-29/54-81—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील डुमारियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम फतेहपुर तप्पा करही में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 1516/जी0-178/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी

संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम डढ़िया तप्पा असनार में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

16 मार्च, 2020 ई0

सं0 1706/जी0-155/69—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम मुरगहवा तप्पा डवरा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

28 जुलाई, 2020 ई0

सं0 2941/जी0-155/69-86—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील नौगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम फुलवरिया तप्पा नगवा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 2942/जी0-29/54-81(1)—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील डूमरियागंज, जनपद सिंद्धार्थनगर के ग्राम बीरपुर एहतमाली तप्पा बैनिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

06 अगस्त, 2020 ई0

सं0 3034/जी0-178/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बांसी, जनपद सिंद्धार्थनगर के ग्राम दुलही तप्पा हाटा, में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

15 जनवरी, 2021 ई0

सं0 370/जी0-155/69—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील शोहरतगढ़, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम सिसवा उर्फ शिवभारी तप्पा ढेबरुआ में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

07 अप्रैल, 2021 ई0

सं0 2110/जी0-29/54-81—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0

1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील डुमारियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम कटरिया बाबू, तप्पा बनिया में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

10 मार्च, 2021 ई0

सं0 1661/जी0-29/90-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5-1954 ई0) की धारा-52(1) अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 -1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील इटवा जनपद सिद्धार्थनगर, के ग्राम तिघरा, तप्पा करही में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी है।

11 मई, 2021 ई0

सं0 2345/जी0-178/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बॉसी परगना मगहर पश्चिम, जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम भटपुरवा, तप्पा रूधौली में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

10 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 5174/जी0-178/60-15—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील बॉसी जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम मटियरिया तप्पा बंबर में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

27 अक्टूबर, 2021

सं0 4493/जी0-61-B/57/2019-20—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना चन्दौसी, जनपद सम्भल के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	सम्भल	चन्दौसी	1—जैतपुर 2—रामगढ़

सं0 4470/जी0-244-A/63—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा -6 की उप धारा (1) के अधीन सरकारी

विज्ञाप्ति सं0 -8313/आई0ए0-813/1954 दिनांक 19 अक्टूबर, 1956 द्वारा यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक उत्तर प्रदेश, तहसील औराई परगना भदोही, जनपद भदोही के निम्नलिखित ग्रामों में उपर्युक्त अधिनियम की धारा 4क (2)के अधीन जारी की गई विज्ञप्ति संख्या-2418/जी0- 610/2016-17 दिनांक 01.05.2018 एतद्द्वारा निरस्त करता हूँ:

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	भदोही	औराई	1—भवानीपुर 2—घमहापुर 3—पाण्डेयपुर

01 नवम्बर 2021 ई0

सं0 4517/जी0-171/59—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सीतापुर, परगना रामकोट, जनपद सीतापुर के ग्राम सिकटिहा में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4518/जी0-171/59—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील सीतापुर, परगना हरगाँव, जनपद सीतापुर के ग्राम भदेवां में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं।

सं0 4519/जी0-171/59—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 (उ0प्र0 अधिनियम सं0 5, 1954 ई0) की धारा 52(1) के अधीन सरकारी विज्ञप्ति सं0 1769/सी0एच0-1-91-58, दिनांक 07 अगस्त, 1958 तथा शासनादेश सं0 23/1/1-(5) 1991-टी0सी0आर0-1, दिनांक 01 अप्रैल, 1991 में किये गये प्राविधान के अनुसार उपधारा (1-क) उपधारा (1) के अधीन यथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करके मैं, बी0 राम शास्त्री, चकबन्दी संचालक, उत्तर प्रदेश, एतद्द्वारा विज्ञापित करता हूँ कि इस विज्ञप्ति के सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से तहसील व परगना बिसवां, जनपद सीतापुर के निम्नलिखित ग्रामों में चकबन्दी क्रियाएं समाप्त हो गयी हैं:

अनुसूची

क्र0	जनपद का नाम	तहसील	ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	सीतापुर	बिसवां	1—रत्नापुर माफी 2—कोण्डरा

बी0 राम शास्त्री,
चकबन्दी संचालक,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0—17 हिन्दी गजट—भाग 1-क—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 जुलाई, 2022 ई० (श्रावण 1, 1944 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, पिलखुवा, जनपद-हापुड़

दिनांक 22 मई, 2022 ई0

सं0 363/कर विभाग/2022-2023–नगरपालिका परिषद्, पिलखुवा जनपद–हापुड़ नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(2) सूची के ई वी के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद् पिलखुवा द्वारा अपनी सीमान्तर्गत गृहकर, जलकर, सीवरकर, व गृहकर जलकर नाम परिवर्तन शुल्क, भवन निर्माण मानचित्र पर दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु तैयार की गयी उपविधियों हेतु दैनिक समाचार-पत्र आज के अंक दिनांक 31 अगस्त, 2017 में कराकर 30 दिवस में आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे, निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए है, इन उपविधियों को अन्तिम रूप से गजट में प्रकाशन दिनांक 09 दिसम्बर, 2017 को कराया गया, नगरपालिका परिषद् पिलखुवा के बोर्ड की बैठक दिनांक 22 मई, 2022 के प्रस्ताव संख्या-7 के द्वारा उपर्युक्त उपविधि में आंशिक त्रुटियों को संशोधित किया गया है। जो कि गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी। नियमावली/दरें निम्नप्रकार है–

गृहकर, जलकर, सीवरकर, व गृहकर जलकर नाम परिवर्तन शुल्क, भवन निर्माण मानचित्र पर दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र की नियन्त्रण नियमावली (उपविधि) 2017 यथासंशोधित 2022

1–संक्षिप्त नाम प्रसार और प्रारम्भ–

(क) यह उपविधि गृहकर, जलकर, सीवरकर, व गृहकर जलकर नाम परिवर्तन शुल्क, भवन निर्माण मानचित्र पर दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र की नियन्त्रण नियमावली (उपविधि) 2017 यथासंशोधित 2022 कहलायेगी जो सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

2—परिभाषायें—

जब तक कोई प्रसंग प्रतिकूल न हो इस नियमावली में—

(क) नगरपालिका से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिलखुवा जनपद—हापुड़ से है।

(ख) अधिनियम से तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद् पिलखुवा से है।

(घ) अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् पिलखुवा के अध्यक्ष/प्रशासक/बोर्ड से है।

(च) बोर्ड का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, पिलखुवा के निर्वाचित बोर्ड अथवा शासन द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से है ।

(छ) गृहकर, जलकर, सीवरकर, व गृहकर जलकर नाम परिवर्तन शुल्क, भवन निर्माण मानचित्र पर दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र का तात्पर्य इस उपविधि के अन्तर्गत आरोपित कर एवं शुल्क से है।

(ज) सीवर कर का तात्पर्य उस भाग से है जिस भाग में सीवर लाईन डाल दी गयी है और संचालित है।

3—गृहकर, जलकर, सीवरकर एक वित्तीय वर्ष के लिये होगा जो कि प्रतिवर्ष की प्रथम दिनांक अप्रैल से आरम्भ होकर मार्च के 31 वें दिन खत्म होगा ।

4—गृहकर वार्षिक मूल्यांकन का 12.50 प्रतिशत ,जलकर वार्षिक मूल्यांकन का 10 प्रतिशत व सीवरकर वार्षिक मूल्यांकन का 2.50 प्रतिशत प्रति वित्तीय वर्ष की दर से होगा।

5—व्यवसायिक भवन/भूमि हेतु विक्रय विलेख/गिफ्ट डीड की स्टाम्प धनराशि का 01 प्रतिशत आवासीय भवन/भूमि हेतु विक्रय विलेख/गिफ्ट डीड की स्टाम्प धनराशि का 0.75 प्रतिशत की दर से होगा।

6—नाम परिवर्तन शुल्क वसीयत/मृत्यु की दशा/विभाजन (पारिवारिक बंटवारा पर) रु0 2,000.00 प्रति नाम परिवर्तन एवं भवन निर्माण के मानचित्र पर पालिका द्वारा दिये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति बैनामा होगा ।

7—उपरोक्त करों व शुल्क के संबध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अध्यक्ष/प्रशासक/अधिशासी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा, जब तक कि वह निर्णय किसी सक्षम न्यायालय द्वारा खण्डित अथवा स्थगित न कर दिया जाये। किराया से सम्बधित उत्पन्न होने वाले वादों का न्याय क्षेत्र जनपद हापुड़ होगा ।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नगरपालिका परिषद् पिलखुवा, हापुड़ निर्देश देती है कि इस उपविधि का उल्लंघन करने वाले दण्ड के भागी होंगे, जो रुपये एक हजार तक हो सकता है और उल्लंघन निरन्तर जारी रहने की दशा में प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी, अपराध करता रहा है, तो रु0 250.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जा सकता है ।

निरसन

यह उपविधि के प्रभावी होने की तिथि से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व में प्रचलित उपविधि निरस्त हो जायेगी।

गीता गोयल,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, पिलखुवा,
हापुड़।

कार्यालय, नगर पंचायत, धौरहरा, लखीमपुर-खीरी

16 जुलाई, 2022 ई0

सं0 260/न0पं0धौ0/दुकान-उपविधि/2022-23—नगर पालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 एक्ट संख्या 2, 1916) की धारा 298 (2) (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नगर पंचायत ,धौरहरा द्वारा अपनी सीमा में "दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान निर्माण आवंटन व संचालन उपविधि, 2021" सम्बन्धी उपविधि बनायी है, जिसे नगर पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 05 अप्रैल, 2021 के प्रस्ताव संख्या 04 द्वारा अनुमोदित किया गया अनुमोदित उपविधि को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300(1) के अनुसार कार्यालय के पत्रांक संख्या 416/न0पं0धौ0/दुकान-उपविधि/2021-22 दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 के क्रम में दैनिक समाचार-पत्र "राष्ट्रीय सहारा" व वॉयस आफ लखनऊ अंक में इस आशय से उन व्यक्तियों के लिए प्रकाशन कराया गया कि जिन पर इस नियमावली का प्रभाव पड़ने वाला है या पड़ने की सम्भावना है वह व्यक्ति अपने आपत्ति/सुझाव प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस के अन्दर कार्यालय नगर पंचायत, धौरहरा को प्रस्तुत कर सकते हैं परन्तु प्रकाशन के उपरान्त नियत समय सीमा तक किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। आपत्ति/दावा प्राप्त न होनें की दशा में कमेटी बोर्ड बैठक दिनांक 11 मई, 2022 के प्रस्ताव संख्या 03 द्वारा बिना कोई संशोधन किये नियमावली का अनुमोदन सरकारी गजट में प्रकाशन हेतु प्रदान किया गया।

तदोपरान्त तैयार अनुमोदित नियमावली को बिना कोई संशोधन किये हुए नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 के उपखण्ड-दो के अनुसार सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है।

"दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान निर्माण आवंटन व संचालन उपविधि, 2021"

1—**शीर्षक**—यह नियमावली नगर पंचायत, धौरहरा की "दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान निर्माण आवंटन व संचालन उपविधि, 2021" कहलायेगी।

2—**प्रकृति**—यह नियमावली उत्तर प्रदेश साधारण गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नगर पंचायत, धौरहरा की सीमा में प्रभावी होगी।

3—**परिभाषायें**—जब तक विषय या प्रसंग से कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 ऐक्ट संख्या 2, 1916) से है।

(ख) अधिशासी अधिकारी से तात्तर्य नगर पंचायत, धौरहरा के अधिशासी अधिकारी से है।

(ग) बोर्ड का तात्पर्य नगर पंचायत, धौरहरा के बोर्ड से है।

(घ) अध्यक्ष का तात्पर्य नगर पंचायत, धौरहरा के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(ङ) नगर पंचायत से तात्पर्य नगर पंचायत, धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी से है।

(च) नगर पंचायत की सीमाओं'' से तात्पर्य वर्तमान में निर्धारित सीमायें या भविष्य में बढ़ने से निर्धारित होकर प्रभावी होने वाली सीमा से है।

(छ) सम्पत्ति का तात्पर्य व्यावसायिक उपयोग हेतु निमित दुकानों से है।

4—**दुकान निर्माण का उद्देश्य**—दुकानों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक गतिविधियों को व्यवस्थित करना, नगर पंचायत की नई परिसम्पत्तियों का सृजन व नगर पंचायत की आय को बढ़ाना है। नगर पंचायत द्वारा दुकानों का निर्माण नगर पंचायत में निहित भूमि पर ही किया जायेगा किसी निजी व्यक्ति की भूमि पर दुकानों का निर्माण नहीं कराया जायेगा। दुकानों का निर्माण नगर पंचायत द्वारा नियमानुसार निविदा आमंत्रित करके किया जायेगा नगर पंचायत की भूमि पर किसी अन्य व्यक्ति को दुकान निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

5–**धनराशि की व्यवस्था**–नगर पंचायत द्वारा दुकानों के निर्माण के लिए धन की व्यवस्था निम्न प्रकार से की जायेगी–

(1) जिन स्थानों पर पूर्व से व्यापार आजीविका के लिए भूमि किराये पर आवंटित है उस स्थान पर दुकानों का निर्माण निकाय निधि में उपलब्ध धनराशि तथा निजी क्षेत्र से प्राप्त धनराशि से कराया जायेगा। दुकानों के निर्माण हेतु आवंटित व्यक्तियों से कितनी धनराशि लेनी है इसका निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जायेगा।

(2) निकाय की पूर्णतः रिक्त भूमि पर दुकानों का निर्माण पूर्ण रूप से आवंटन से प्राप्त होने वाली धनराशि से कराया जायेगा।

6–**आवंटन की प्रक्रिया**–

(1) दुकानों का पूर्ण स्वामित्व नगर पंचायत का होगा किसी भी प्रकार से किया गया आवंटन सिर्फ किरायेदार के रूप में किया गया आवंटन माना जायेगा।

(2) नियम-5(1) के तहत निर्मित दुकानों का किराये पर आवंटन उन्हीं व्यक्तियों को किया जायेगा जो पूर्व से वहां पर व्यापार/आजीविका करते थे व नियमानुसार नगर पंचायत को किराया अदा करते आये हैं।

(3) नियम-5(2) के तहत निर्मित दुकानों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया के द्वारा किया जायेगा

(4) किसी भी कारणवश निरस्त दुकानों का आवंटन नीलामी प्रक्रिया के तहत ही किया जायेगा।

7–नीलामी की प्रक्रिया व शर्तें–(1) उपलब्ध रिक्त दुकानों को दर्शाते हुए समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया जायेगा बोली हेतु न्यूनतम धनराशि का आंकलन दुकान निर्माण की लागत के अनुसार किया जायेगा। उच्चतम बोलीदाता को नियमानुसार दुकान किराये पर आवंटित की जायेगी। नीलामी की समाप्ति के पश्चात् उच्चतम बोलीदाता को बोली धनराशि का आधा हिस्सा उसी दिन नकद शेष धनराशि एक सप्ताह की समयावधि में जमा करना अनिवार्य होगा।

(2) जिनकी दुकानें सम्बन्धित मार्केट में होगी वह व्यक्ति नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग नहीं कर सकेगा

(3) एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान आवंटित नहीं की जायेगी

(4) नीलामी को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, धौरहरा में निहित होगा।

(5) किसी भी व्यक्ति को दुकान का संयुक्त रूप से आवंटन नहीं किया जायेगा।

8–आवंटन अवधि–दुकानों का किराये पर आवंटन एक वर्ष के लिए किया जायेगा जिसे सामान्तया प्रति वर्ष आगे बढ़ाया जाता रहेगा प्रतिवर्ष नगर पंचायत व आवंटी व्यक्ति के बीच किराया अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा। अनुबन्ध हेतु आवश्यक स्टाम्प शुल्क का व्यय आवंटी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। किसी प्रतिकूल परिस्थितियों के बिना दुकानों का आवंटन निरस्त नहीं किया जायेगा।

9–आवंटन निरस्तीकरण–(1) अनाधिकृत निर्माण व दुकान में तोड़-फोड़ करने पर दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(2) किराये की शर्तों का उल्लंघन तथा समय से मासिक किराया धनराशि जमा न करने पर आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेंगी।

(3) कोई भी उप किरायेदार नहीं रखा जायेगा यदि किसी व्यक्ति/दुकानदार द्वारा स्वयं व्यवसाय न करके किरायेदार रखा जाता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

(4) आवंटी व्यक्ति द्वारा दुकान की बिक्री व किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।

(5) यदि किसी आवंटी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिसानों में जो दुकान में व्यवसाय कर रहा होगा दुकान को किराये पर अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए उसके नाम आवंटित कर दिया जायेगा। इस प्रकार की परिस्थितियों में सामान्य वरासत के सिद्वांत (एक से अधिक व्यक्तियों के नाम अंकित नहीं किये जायेंगे) लागू नहीं होंगे।

(6) आवंटन निरस्त करने से पूर्व 30 दिन की लिखित नोटिस दी जायेगी तत्पश्चात् अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अध्यक्ष द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

10–किराया निर्धारण–इस नियमावली के तहत निर्मित दुकानों के किराये का निर्धारण बाजार दरों का उचित मूल्यांकन करके अधिशासी अधिकारी द्वारा किया जायेगा–

(1) एक बार निर्धारित किये गये किराये में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जायेगी। सिर्फ उन दुकानदारों को किराये में 50 प्रतिशत की छूट दो वर्ष के लिए दी जायेगी जिन्होंने दुकान निर्माण के समय धनराशि नगर पंचायत में जमा की होगी। दो वर्ष के पश्चात् निकाय द्वारा निर्धारित किराया देय होगा।

(2) किराया मासिक आधार पर देय होगा।

(3) किराये में प्रति तीन वर्ष पश्चात् दस प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी जो अगले दस के गुणांक में मूल्यांकित की जायेगी।

(4) किराये के अतिरिक्त जो भी कर शासन/निकाय द्वारा आरोपित किये जायेंगे उनका समय से भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जो किराये में सम्मिलित नहीं होगे।

11–दुकानों का संचालन व रख–रखाव–(1) दुकानों का स्वामित्व पूर्ण रूप से नगर पंचायत, धौरहरा का होगा।

(2) आवंटी द्वारा दुकानों की डिजाइन में किसी भी प्रकार का बदलाव व निर्माण नहीं कराया जायेगा यदि आवंटी द्वारा ऐसा किया जाता है तो दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आवंटी का होगा।

(3) यदि दुकानों में किसी भी प्रकार की मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है नगर पंचायत की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(4) छत पर स्वामित्व निकाय को होगा कोई भी आवंटी दुकान की छत पर दावा नहीं करेगा।

(5) किरायेदार को राज्य सरकार जिला प्रशासन, नगर पंचायत द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

सना खांन,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, धौरहरा,
जनपद-खीरी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम खुशी सिंह पुत्री बृजेश कुमार सिंह है। मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम शिवानी सिंह पुत्री बृजेश कुमार सिंह है। त्रुटिवश आई सी आई सी आई के चिल्ड्रेन ग्रोथ बाण्ड में घर का नाम खुशी सिंह अंकित हो गया है। उपर्युक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे शिवानी सिंह पुत्री बृजेश कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाये।

शिवानी सिंह,
पता–35/5 जवाहर लाल नेहरू रोड,
बटलर मार्केट, जार्ज टाउन प्रयागराज।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम पवन सिंह पुत्र बेदराम है। जो कि सही है। त्रुटिवश मेरा पैन कार्ड नं0 DHNPB-3148D में मेरा नाम अनुप सिंह भाटी पुत्र तेजपाल सिंह अंकित हो गया है। जो कि गलत है। भविष्य में मुझे पवन सिंह पुत्र श्री बेदराम के नाम से जाना और पहचाना जाये।

पवन सिंह,
पुत्र श्री बेदराम,
निवासी ग्राम-आगापुर सराय,
पोस्ट-गोहरा अलमगीरपुर, हापुड़,
तहसील व जनपद हापुड़।

सूचना

मैं आशीष कुमार चौरसिया पुत्र श्री जगत नारायण चौरसिया निवासी उमरपुर, रूहट्टा, जिला जौनपुर (उ0प्र0) का हूँ एवं मेसर्स पशुपति प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज, ग्रा0 मकरा त्रिलोचन महादेव, लहंगपुर, जिला–जौनपुर, उ0प्र0 का अधिकृत साझेदार होने की हैसियत से यह सूचना देता हूँ कि उपरोक्त फर्म में पहले चार साझेदार क्रमशः अरूण कुमार अग्रवाल, विशाल कुमार, आशीष कुमार चौरसिया, श्रीमती दीपशिखा थे, जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2019 को प्रथम व द्वितीय साझेदार अरूण कुमार अग्रवाल व विशाल कुमार ने अपना हक हिस्सा लेकर उक्त फर्म से पृथक हो गये अब उनकी फर्म में किसी भी प्रकार की लेनदारी या देनदारी नहीं हैं। अतः अब उक्त फर्म में अब दो साझेदार क्रमशः आशीष कुमार चौरसिया व दीपशिखा है। कारोबार यथावत है।

आशीष कुमार चौरसिया,

साझेदार,

मेसर्स पशुपति प्लाईवुड इण्डस्ट्रीज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 मॉ मुण्डेश्वरी कन्सट्रक्शन, वार्ड नं0–6 टा0 व पो0–चुर्क, जिला सोनभद्र जिसका पंजीकरण सं0 SON/0004202 दिनांक 05 अगस्त, 2019 है। फर्म में मूल रूप से तीन साझीदार शरद कुमार सिंह पुत्र स्व0 गोपाल शरण सिंह, अमित कुमार सिंह पुत्र श्री शरद कुमार सिंह व सुमित कुमार सिंह पुत्र श्री शरद कुमार सिंह थे। दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से सुमित कुमार सिंह पुत्र श्री शरद कुमार सिंह अपने व्यक्तिगत कारणों से फर्म के व्यापार से अलग हो गये हैं। नये साझीदार के रूप में श्रीमती उर्मिला सिंह पुत्री श्री राम गुलाम सिंह दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से शामिल हो गयी हैं।

शरद कुमार सिंह,

वार्ड नं0-6, टा0 व पो0-चुर्क,

सोनभद्र।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे नाम मणिमाला द्विवेदी पत्नी गिरीश चन्द्र द्विवेदी का अंग्रेजी भाषा संस्करण में मेरे आधार, पेन कार्ड इत्यादि में Manimala Dvivedi W/o Girish Chandra Dvivedi है। मेरे पासपोर्ट, वोटर्स कार्ड इत्यादि में मेरे नाम का अंग्रेजी भाषा संस्करण Manimal Dwivedi W/o Grish Chandra Dwivedi अंकित हो गया है। मेरे नाम के उपरोक्त दोनों अंग्रेजी भाषा संस्करण मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे मेरे नाम मणिमाला द्विवेदी एवं उसके अंग्रेजी भाषा संस्करण Manimala Dvivedi W/o Girish Chandra Dvivedi के नाम से जाना व पहचाना जाए।

मणिमाला द्विवेदी,

पत्नी गिरीश चन्द्र द्विवेदी,

ए-65, सहज पुरम, श्री राम चन्द्र मिशन,

आई आई एम के पास, आई आई एम रोड,

अल्लू नगर डिगुंरिया, लखनऊ (उ0प्र0),

पिन-226020

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे नाम गिरीश चन्द्र द्विवेदी पुत्र टी0 एन0 द्विवेदी का अंग्रेजी भाषा संस्करण में मेरे आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेंस, सर्विस रिकार्ड्स इत्यादि में Girish Chandra Dvivedi S/o T. N. Dvivedi है। मेरे पासपोर्ट, वोटर्स कार्ड इत्यादि में मेरा नाम गिरीश चन्द्र द्विवेदी का अंग्रेजी भाषा संस्करण Grish Chandra Dwivedi S/o T. N. Dwivedi अंकित हो गया है। मेरे नाम के उपरोक्त दोनों अंग्रेजी भाषा संस्करण मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे मेरे नाम गिरीश चन्द्र द्विवेदी एवं उसके अंग्रेजी भाषा संस्करण Girish Chandra Dvivedi S/o T. N. Dvivedi के नाम से जाना व पहचाना जाए।

गिरीश चन्द्र द्विवेदी,

पुत्र टी0 एन0 द्विवेदी,

ए-65, सहज पुरम, श्री राम चन्द्र मिशन,

आई आई एम के पास, आई आई एम रोड,

अल्लू नगर डिगुंरिया, लखनऊ (उ0प्र0),

पिन-226020

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स जयंत इण्टरप्राइजेज, कस्बा व पोस्ट फरीदपुर, थाना व तहसील फरीदपुर जिला बरेली, उ0प्र0 पिनकोड 243503 (पंजीकरण संख्या : B-12983) फर्म में कुल 5 साझेदार-अखिलेश कुमार पाण्डेय, बलविन्दर सिंह, सुखदेव सिंह, अभिनव पाराशरी व गुरपेज सिंह थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 04 जुलाई, 2022 को फर्म में एक नया साझेदार गुर प्रताप सिंह शामिल किया है तथा तीन साझेदार बलविन्दर सिंह, सुखदेव सिंह, अभिनव पाराशरी अपनी स्वेच्छा से दिनांक 04 जुलाई, 2022 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है,

साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 3 साझेदार अखिलेश कुमार पाण्डेय, गुरपेज सिंह व गुरू प्रताप सिंह हैं। फर्म में एवं साझेदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

अखिलेश कुमार पाण्डेय,
साझेदार,
मेसर्स जयंत इण्टरप्राइजेज,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स बाबा गोरखनाथ इन्टरप्राइजेज, हाउस नं0 45, मोहल्ला खुशीमल, पीलीभीत, उ0प्र0 पिनकोड 262001 (पंजीकरण संख्या : PIL-0004596) फर्म में कुल 3 साझेदार कपिल कुमार, गिरीश चन्द्र व पंजाब सिंह थे, साझेदारों की रजामन्दी से दिनांक 04 जुलाई, 2022 को फर्म में एक नया साझेदार राजीव कान्त शामिल किया है एक साझेदार गिरीश चन्द्र अपनी स्वेच्छा से दिनांक 04 जुलाई, 2022 को अवकाश ग्रहण करके फर्म से अलग हो गये। अवकाश ग्रहण साझेदार का सारा हिसाब-किताब चुकता हो गया है, साझेदार का फर्म/साझेदारों पर या फर्म का साझेदार पर कोई लेन-देन बकाया नहीं है। अब फर्म में कुल 3 साझेदार कपिल कुमार, पंजाब सिंह व राजीव कान्त है। फर्म में एवं सोझदारों में कोई विवाद नहीं है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा पूरी कर ली गयी है।

कपिल कुमार,
साझेदार,
मेसर्स बाबा गोरखनाथ इन्टरप्राइजेज,
पीलीभीत, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा घर का नाम राज पटेल पुत्र रमेश चन्द्र पटेल है जबकि शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम प्रखर पटेल पुत्र रमेश चन्द्र पटेल है। त्रुटिवश एल0 आई0 सी0 की पालिसी संख्या 311589395 में मेरा घर का नाम राज पटेल अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे प्रखर पटेल पुत्र रमेश चन्द्र पटेल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

प्रखर पटेल,
164/87 म्योर रोड,
राजापुर, इलाहाबाद।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 दुर्गा ट्रक लिंकर, 93, जमुना धाम, गोवर्धन चौराहा मथुरा पर स्थित है। उपरोक्त फर्म में श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद निवासी-439बी, छौंकरा बाजार अरिंग मथुरा, श्री मुरारी लाल अग्रवाल पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल निवासी-93, जमुनाधाम गोवर्धन चौराहा मथुरा और श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल निवासी-37, जमुनाधाम गोवर्धन चौराहा मथुरा साझेदार है। जिसमें से श्री दुर्गा प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री वासुदेव प्रसाद निवासी-439बी, छौंकरा बाजार अरिंग, मथुरा की दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को मृत्यु हो गयी है। वर्तमान में फर्म में श्री मुरारी लाल अग्रवाल और श्री अशोक कुमार अग्रवाल साझेदार हैं।

मुरारी लाल अग्रवाल।

सूचना

मेरे पिता की फर्म गौरव इंटरप्राइजेज के चार पार्टनर अरविंद सिंह, प्रभा सिंह, गौरव सिंह व सौरभ सिंह थे। मेरे पिता अरविंद सिंह की मृत्यु के पश्चात् केवल तीन ही पार्टनर रहेंगे। (प्रभा सिंह, गौरव सिंह व सौरभ सिंह)। गौरव सिंह पुत्र स्वर्गीय अरविंद सिंह निवासी 2/135-22 पार्वती नगर कालोनी, जिला वाराणसी।

गौरव सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स ओपल एग्रो फूड एण्ड बेवरेजस, सी-18/3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, साईट-4, साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010 की साझीदारी में श्री आकाश पंवार एवं श्री अंकित खण्डेलवाल साझीदार थे। दिनां 01.04.2022 को श्रीमती राधा रावत फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुई हैं एवं श्री आकाश पंवार फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले देकर अलग हो गये हैं। संशोधित डीड के अनुसार श्री अंकित खण्डेवाल एवं श्रीमती राधा पंवार साझीदार हैं। यह घोषण करता हूँ कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अंकित खण्डेलवाल,
साझीदार
मेसर्स ओपल एग्रो फूड एण्ड बेवरेजस,
सी-18/3, इण्डस्ट्रीयल एरिया, साईट-4,
साहिबाबाद, गाजियाबाद-201010।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स दीपक कान्स्ट्रक्शन, पता विलेज नगला चतुरी सैफई, इटावा के पार्टनर मि0 मोहित यादव पुत्र श्री प्रदीप कुमार यादव नि0 जवाहर रोड, भरथना, जिला इटावा दिनांक

31 मई, 2022 से उक्त फर्म से हट गये हैं तथा उक्त फर्म को मि0 देश दीपक यादव प्रोपराइटर शिप में चलायेंगे तथा उक्त पार्टनरशिप फर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया है।

मि0 देश दीपक यादव,

प्रोपराइटर,

मेसर्स दीपक कान्स्ट्रक्शन,

पता विलेज नगला चतुरी सैफई, इटावा।

सूचना

अमरप्रीत सिंह उम्र 48 वर्ष पुत्र श्री सुरजीत सिंह निवासी 120/192(3) मरियमपुर रोड लक्ष्मी रतन कालोनी, लाजपत नगर कानपुर साझेदार मेसर्स सिंह बदर्स, एम-1, गोविन्दनगर, कानपुर का कॉन्टयून्यू साझीदार है। 1. यह फर्म भागीदारी अधिनियम 1932 के अन्तर्गत पंजीकृत है। उपरोक्त फर्म के संविधान में निम्नवत परिवर्तन की सूचना देता हूँ। 2. यह कि संविधान दिनांक 01 सितम्बर, 2007 में दिनांक 03 जून, 2014 में निम्न परिवर्तन की सूचना दिनांक 12 जून, 2021 से देता हूँ। 3. फर्म की पूर्व पार्टनर श्रीमती बलविंदर कौर पत्नी श्री सुरजीत सिंह की मृत्यु दिनांक 12 मई, 2021 को हो चुकी है। 4. यह कि नाबालिक साझीदार राजबीर सिंह पुत्र स्व0 सं0 परमजीत सिंह निवासी एच0आई0जी0 42 रतनलाल नगर कानपुर अब बालिग हो गये हैं। 5. दिनांक 12 जून, 2021 में फर्म की साझीदार निम्नवत् है। (1) श्री अमरप्रीत सिंह उर्म 48 वर्ष पुत्र श्री सुरजीत सिंह निवासी 102/192(3) मरियमपुर रोड लक्ष्मी रतन कालोनी लालपत नगर कानपुर। (2) श्रीमती रविन्दर कौर उम्र 45 वर्ष पत्नी अमरप्रीत सिंह निवासी 120/192(3) मरियमपुर रोड लक्ष्मी रतन कालोनी लालपत नगर कानपुर। (3) श्री हर्षप्रीत सिंह उम्र 32 वर्ष पुत्र श्री सुरजीत सिंह निवासी एच0आई0जी0 40 रतनलाल नगर कानपुर। (4) श्रीमती जगदीश कौर उम्र 78 वर्ष पत्नी महेन्द्र सिंह एच0आई0जी0 41 रतनलाल नगर कानपुर। (5) श्रीमती सिमरन कौर उम्र 53 वर्ष पुत्री सरदार महेन्द्र सिंह निवासी 535 सेक्टर 33 बी चंडीगढ़। (6) रविन्दर कौर उम्र 76 वर्ष पुत्री श्री हरनाम सिंह निवासी भौना इस्लामनगर बाजपुर जिला ऊधम सिंह नगर उत्तराखण्ड, राजवीर सिंह पुत्र स्व0 सं0 परमजीत सिंह उम्र 19 वर्ष निवासी एच0आई0जी0 42 रतनलाल नगर कानपुर।

साझीदार,
अमरप्रीत सिंह।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे0 सैनानी गैस सर्विस, अचल ताल, अलीगढ़ में स्थित है उपरोक्त फर्म में हम श्रीमती प्रेमवती, श्रीमती ज्ञानवती निवासीगण अलीगढ़ दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 को संचालित की थी। दिनांक 02 जनवरी, 2021 से श्री प्रमोद कुमार सिंह, श्री प्रवीण कुमार सिंह निवासीगण विष्णुपुरी, अलीगढ़ फर्म में साझेदार हो गये हैं। दिनांक 02 जनवरी, 2021 को श्रीमती प्रेमवती जी की मृत्यु हो गयी है। अब फर्म को श्रीमती ज्ञानवती, श्री प्रमोद कुमार सिंह व श्री प्रवीण कुमार सिंह हम सभी साझेदार के रूप में फर्म को संचालित करेंगे।

श्रीमती ज्ञानवती,
साझेदार।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे घर का नाम दीपक कुमार है। मेरे शैक्षिक अभिलेखों, पैन, आधार में मेरा नाम तुषार कुमार थारू पुत्र श्री सतीश कुमार थारू है। त्रुटिवश एल0आई0सी0 की पालिसी सं0 311693590 में घर का नाम दीपक कुमार अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरा ही है। भविष्य में मुझे तुषार कुमार थारू पुत्र सतीश कुमार थारू के नाम से जाना व पहचाना जाये। तुषार कुमार थारू, 77/सी/4जी/2डी अशोक नगर नेवादा, तहसील सदर जिला-प्रयागराज।

तुषार कुमार थारू।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजा गैस सर्विस इटवा बाजार सिद्धार्थ नगर जो पार्टनरशिप फर्म थी। जिसमें से एक पार्टनर सीता वर्मा की मृत्यु एवं दूसरे पार्टनर हरीशचन्द्र वर्मा पुत्र दिनेश कुमार वर्मा द्वारा

इस फर्म से स्वेच्छा से अलग हो जाने के कारण यह फर्म विघटित हो गयी है। इस प्रकार अब इस पार्टनरशिप फर्म का अस्तित्व समाप्त हो गया है।

दिनेश कुमार वर्मा,
पुत्र दया राम वर्मा,
नि0 ग्राम रफियाचक,
पो0 असनहरा
जिला बस्ती,
साझीदार राजा गैस सर्विस
इटवा बाजार सिद्धार्थ नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्रीजी ग्रीन्स (पंजीकरण संख्या VAR/0010408) का पंजीकृत कार्यालय डी 59/1, रथयात्रा वाराणसी (उ0प्र0) था और फर्म में दो साझेदार हैं और दोनों साझेदार की आपसी सहमति से फर्म का पंजीकृत कार्यालय डी 59/1, रथयात्रा, वाराणसी (उ0प्र0) से CK 15/58, SUDIA VARANASI 221001 (U.P.) पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

SHREEJI GREENS,
Sushma Agarwal,
Partner.

पी0एस0यू0पी0–17 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।

मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।